भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1279

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी विंग द्वारा छापे और निरीक्षण"

1279. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीएसटी विंग के उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारियों (ईटीओ) ने देश में और विशेषकर पंजाब में हर महीने कई छापे मारे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विशेषकर पंजाब में जीएसटी विंग द्वारा किए गए छापों और निरीक्षणों की संख्या का रिकॉर्ड है;
(ग) क्या राज्य सरकार ईटीओ को हर महीने एक निश्चित संख्या में छापे मारंने के संबंध में कोई निर्देश जारी कर सकती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

क) जीएसटी अधिकारी केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 67 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए निरीक्षण, तलाशी और जब्ती करते हैं। यह विशिष्ट आसूचना, डेटा विश्लेषण, अन्य कर संरचनाओं से प्राप्त जानकारी आदि पर आधारित होता है।

ख) जी नहीं, ऐसे निरीक्षणों और तलाशी के रिकॉर्ड केवल संबंधित राज्य कर प्रशासन द्वारा ही रखा जाता है।

ग और घ) इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है।

ङ) चूंकि राज्य कर प्रशासन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसलिए इससे संबंधित कोई भी निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।

*****